before the National Development Council Resolution.
(e) States which have already enacted new laws containing certain restrictive features have been advised to amend their laws deleting such restrictive provisions. In the case of States, which have prepared draft bills, such bills thave been examined and the comments of the Ministry have been communicated to the State Governments for consideration and adoption. The States which have made only little progress in amending their cooperative law have been expedited to amend their cooperative Acts for removing any restrictive features in their cooperative Acts. This question also figured on the agenda of the conferences of State Ministers for Cooperation held during the years 1960 and 1961.

## Upgrading of Post Offices

## 1103. Shrimati Ramdulari Sinha:

Will the Minister of Transport and Communications be pleased to state:
(a) whether any steps have been taken or are proposed to be taken for converting Barharwa or Dhang extradepartmental Branch Office into a subpost office in Muzaffarpur district in Bihar;
(b) if so, where the matter stands; and
(c) if not, why no step is being taken for upgrading either of the above post-offices?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Communications (Shri Bhagavati): (a) to (c). The proposals were examined previously but dropped for want of justification. They are being examined afresh.

> कानपुर सेन्ट्रल ₹टेशन पर रोकी गयी गाड़ियां
११०४. घी क्टुण्ण देष त्रिपाठी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) लखनऊ की श्रोर से कानपुर श्राने वाली गाड़ियां कान पुर सेष्ट्रल स्टेशन के सिग-

नलों पर पिद्धले छै महीने में कितने प्रतिशत रुकीं ;
(ख) यह रकना कितना सिगनल न मिलने के कारण तथा कितना जंजीर खींचने पर रोकने के कारण हुप्रा ;
(ग) क्या गाड़ो के प्राय: यहां रकने से यात्रियों को भ्यसुविधा नहीं होती क्योंकि प्राय: झ्यागे जाने वाले यात्रियों की गाड़ी कानपुर स्टेशान से छूट जाती र ; घ्रौर
(घ) इस स्थिति को सुषारने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

रेलवे मत्र्रालय में उपमंत्री (घी जाहु नवाज लi) : (क) पिछ्छले ६ महीनों में, भर्थात् फरवरी से जुलाई, १८६२ तक लखनऊ से श्राने वाली 5.5 प्रतिशत गाड़ियां कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सिगनलों के बाहर रोकी गयीं ।
(ख) ह४ गाड़ि $\dagger$ सिगनल न मिलने भौर $₹ \overline{5}$ गाड़ियां जंजीप खींचने के कारण रोकी गयी ।
(ग) लखनऊ की श्रोर से श्राने वाली गाड़ियों के कानपुर पहुंचने ग्रौर कानपुर से श्रागे जाने वाली मुख्य लाइन की मेल लेने वाली गाड़ियों के छटने के समय में काफी गुंजायशा रहती है। इसलिये लखनऊ को श्रोर से गाड़ियों के देर से श्राने या सिगनलों के बाहर उनके रक जाने के कारण मेल लेने वाली गाड़ियों के छूट जाने के बहुत कम मौके श्राते हैं
(घ) कानपुर स्टेशन पर सिगनलों के बाहर गाड़ियां न रुकें इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । नं० ३ एल० सी० सवारी गाड़ी में जंबीर खींचने की घटनाएं बह्हुत म्रधिक होने के कारण प-७-६२ से इसमें लगी खतरे की जंज़ीर को बेकार कर दिया गया है । दूसरी गाड़ियों में खतरे की जंजीर खींचने की घटनाश्रों की रोक-थाम के लिए स्पेशल टिकट परीक्षकों का एक स्पेशल दस्ता तैनात किया गया है।

